गरवी गुजरात

TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 212
दि. 03.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला नाम

अधिकारियों के मुताबिक शासन का विचार 'सत्ता' से 'सेवा' और अधिकार से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक भी है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा गया है, जो सेवा की भावना को दशार्ता है.

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी शामिल हैं.

राजभवन का नाम बदलकर 'लोक भवन किया गया है, जो कर्तव्य और पारदर्शिता को प्रतिबिंबित करता .

नई दिल्लीः (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नए परिसर को अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहे परिसर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है. इसे पहले 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के रूप में जाना जाता था. प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा, निमार्णाधीन परिसर में मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और 'इंडिया हाउस' के कार्यालय भी शामिल होंगे, जो आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता का स्थल होगा.

अधिकारियों ने बताया कि 'सेवा तीर्थ' एक ऐसा कार्यस्थल होगा, जिसे सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जहां राष्ट्रीय प्राथमिकताएं मूर्त रूप लेंगी. उन्होंने कहा कि भारत के सार्वजनिक संस्थान एक शांत लेकिन गहन बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक शासन का विचार 'सत्ता' से 'सेवा' और अधिकार

से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक भी है.

राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास 'राजभवन' का भी नाम भी बदलकर 'लोक भवन' रखा जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन के क्षेत्रों को 'कर्तव्य' और पारदर्शिता को प्रतिबिंबित करने के लिए नया रूप दिया गया है.

उन्होंने कहा, "हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक अब एक सरल विचार की ओर इशारा करते हैं- सरकार सेवा के लिए है."

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक वृक्षों से घिरे मार्ग के पूर्ववर्ती नाम 'राजपथ' को बदलकर 'कर्त्तव्य पथ' किया था. प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था. अधिकारियों के मुताबिक यह नाम कल्याण का बोध कराता है, न कि विशिष्टता का, तथा यह प्रत्येक निर्वाचित सरकार के भविष्य के कार्यों की याद दिलाता है.

केन्द्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन है, जो एक विशाल प्रशासनिक केंद्र है, जिसका निर्माण इस विचार के इर्द-गिर्द किया गया है कि सार्वजनिक सेवा एक प्रतिबद्धता है. अधिकारियों ने कहा, "ये बदलाव एक गहरे वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक हैं.

भारतीय लोकतंत्र सत्ता की बजाय जिम्मेदारी और पद की बजाय सेवा को चुन रहा है." उन्होंने कहा, "नामों में बदलाव मानसिकता में भी बदलाव है. आज, वे सेवा, कर्तव्य और नागरिक-प्रथम शासन की भाषा बोलते हैं."

पीएम मोदी से किस एजेंडे पर होगी बात, भारत आने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, यूरोप पर क्यों बरसे?

(जीएनएस)।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरे से पहले बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही इस दौरान रूसी राष्ट्रपति यूरोप पर जमकर बरसते भी नजर आए।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। वो 4 और 5 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते कर सकते हैं। इस यात्रा से पहले रूसी राष्ट्रपति

व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग मुलाकात पर बयान सामने आया है। इस दौरान वो अमेरिका और यूरोप पर बरसते नजर आए।

व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली आने से पहले पुतिन ने यूरोप को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप किसी भी तरह का संघर्ष या जंग चाहता है, तो इसके लिए रूस पूरी तरह तैयार है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीटीबी के कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी और प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात होने वाली है।

काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन

वाराणसी के नमो घाट पर आज से शुरू हुए 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाश नाथन समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को सराहा कहा इससे आम लोग काशी एवं तमिल की संस्कृतियों के साथ-साथ सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु किये जा रहे प्रयासों से होंगे अवगत

(जीएनएस)।

वाराणसी के नमो घाट पर आज से शुरू हुए 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ द्वारा काशी एवं तमिलनाडु की महान विभूतियों के जीवन दर्शन तथा केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है।

प्रधानमंत्री ने असम दिवस पर असम के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम दिवस पर असम के बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा के विजन को पूरा करने के हमारे संकल्प को दोहराने का अवसर है।

श्री मोदी ने यह भी कहा, "पिछले कुछ सालों में, केंद्र और असम में एनडीए सरकारें असम की तरक्की को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही हैं।

फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काफी तरक्की हुई है। ताई-अहोम कल्चर और ताई भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे असम के युवाओं को बहुत लाभ होगा।" प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया "असम के मेरे बहनों और भाइयों को असम दिवस पर शुभकामनाएं।

संचार साथी ऐप के अफवाहों पर केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण दिया, ऐप स्वैच्छिक पंजीकरण के बाद ही सक्रिय होता है

उपयोगकर्ता किसी भी समय ऐप हटा सकते हैं: श्री सिंधिया

संचार साथी निगरानी नहीं है, यह जनभागीदारी पर आधारित एक नागरिक सुरक्षा उपकरण है

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संचार साथी, पूरी तरह से लोकतांत्रिक और स्वैच्छिक है। उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार इसके लाभों को उठाने के लिए ऐप को सक्रिय कर सकते हैं, और वे इसे किसी भी समय अपने डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं।

नागरिक-प्रथम और पूर्णतः प्राइवेसी-सेफ प्लेटफॉर्म

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। संचार साथी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो हर मोबाइल यूजर को सशक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाता है। यह निगरानी का माध्यम नहीं, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक पारदर्शी डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है।

उन्होंने बताया कि यह ऐप और पोर्टल नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शनों की पहचान,

खोए-चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग और साइबर ठगी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम बनाता है।

संचार साथी का प्रभाव और मापनीय परिणाम

अपने शुभारंभ के बाद से, संचार साथी ने अच्छे परिणाम दिए हैं:

21.5 करोड़ से अधिक पोर्टल विज़िट

1.4 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड

नागरिकों द्वारा "नॉट माई नंबर" चुनने से 1.43 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए

26 लाख खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाया गया, जिनमें से 7.23 लाख सफलतापूर्वक वापस किए गए

नागरिक रिपोर्टों के आधार पर 40.96 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन काटे गए

धोखाधड़ी से जुड़े 6.2 लाख आईएमईआई ब्लॉक किए गए

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के माध्यम से 475 करोड़ रुपये के संभावित वित्तीय नुकसान को रोका गया।

साइबर सुरक्षा ही है सुरक्षा संचार साथी का मूल लक्ष्य

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ऐप के कॉल लॉग फीचर के माध्यम से किसी भी संदिग्ध नंबर की शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिससे नागरिक स्वयं और दूसरों को संभावित धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। सिंधिया ने कहा कि डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी पूरी तरह स्वैच्छिक, उपयोगकर्ता-केंद्रित और पारदर्शी है, जो देश के मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है। किसी भी तरह का समझौता किए बिना ऐप को सक्रिय करना या डिलीट करना सब कुछ नागरिक के पूर्ण नियंत्रण में है।

ऑपरेशन सागर बंधु : भारतीय नौसेना ने चक्रवाती तूफान दितवाह के मद्देनजर श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान की

(जीएनएस)।

श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह के प्रभाव को देखते हुए, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान चलाया है। श्रीलंकाई नौसेना की 75वीं वर्षगांठ के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (आईएफआर-2025) के तहत कोलंबो में मौजूद भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि को अल्प सूचना पर तट पर उभरती जरूरतों के आधार पर तत्काल राहत प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। इस प्रयास के तहत, जहाजों ने प्रभावित समुदायों को वितरण के लिए राहत सामग्री सौंप दी है।

जहाज पर सवार हेलीकॉप्टरों को प्रभावित क्षेत्रों की हवाई जांच के लिए तैनात किया गया तथा चल रहे खोज एवं बचाव प्रयासों को बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्रीलंकाई नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया जा सका।

इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय नौसेना ने 01 दिसंबर, 2025 को त्रिंकोमाली में आईएनएस सुकन्या को भी तैनात किया है। यह जहाज श्रीलंका के लोगों को दी जा रही सहायता को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण राहत सामग्री लेकर आया है। आवश्यक सहायता की समय पर और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय निरंतर कायम है।

भारतीय नौसेना का त्वरित प्रत्युत्तर एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को दशार्ता है। यह भारत सरकार के महासागर संबंधी दृष्टिकोण और पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप, जरूरत के समय साझेदार देशों का समर्थन करने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

स्ट्रीट एनिमल संरक्षण के लिए 'पशुजीवा - द सोलफुल लव फाउंडेशन' का शांतिपूर्ण मार्च, मुंबई में उमड़े सैकड़ों पशु प्रेमी

मुम्बई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट

मुंबई। बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित संस्था 'पशुजीवा झ्र द सोलफुल लव फाउंडेशन' की संस्थापक व समाजसेविका सुचिस्मिता घोष के नेतृत्व में मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में स्ट्रीट एनिमल संरक्षण को लेकर एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। वरसोवा सोशल से यारी रोड तक आयोजित इस रैली में सैकड़ों पशु प्रेमी शामिल हुए। प्रतिभागियों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स थे, जिन पर सड़क के जानवरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश लिखा था।

कई सामाजिक संगठनों ने इस मार्च में भाग लेकर पशुजीवा फाउंडेशन का साथ दिया। संस्था की ओर से सभी सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी गईं। सुचिस्मिता घोष ने मुंबई पुलिस का भी आभार जताया, जिन्होंने मार्च को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में पूरा सहयोग दिया।

मीडिया से बात करते हुए सुचिस्मिता घोष ने कहा, 'यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर

शेल्टर होम में भेजा जाए। पर जिन कुत्तों-बिल्लियों को हम बचपन से खिलाते-पिलाते आए हैं, जिनकी हमने वैक्सिनेशन और देखभाल की है, उन्हें सड़क से इस तरह हटाया जाना न इंसाफी है, न मानवीय। कई जगह कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर आदि को दूर ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा इंसानों को भी भुगतना पड़ सकता है।'

उन्होंने सरकार से मांग की कि ABC (AnimÔl Birth Control) कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ सड़क के जानवरों को बेदर्दी से उठाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

'हम पशु प्रेमी इन जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका इलाज, नसबंदी और वैक्सीनेशन करवाते हैं। हम सरकार के काम को आसान बना रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार से अनुरोध है कि आदेश पर पुनर्विचार कर इन बेजुबान जीवों के हित को ध्यान में रखा जाए,' उन्होंने कहा।

सुचिस्मिता घोष ने मुंबई में अत्याचार, बीमारी और लाचारी से जूझ रहे जानवरों की देखभाल के लिए विशेष केंद्र भी स्थापित किया है, जहां उनकी टीम दिन-रात सेवा में जुटी रहती है। संस्था को तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं।

लंबे समय से सड़क के कुत्ते-बिल्लियों को खाना खिलाने वाली सुचिस्मिता घोष ने मालाड में एक फोस्टर सेंटर भी शुरू किया है, जहां दुर्घटनाग्रस्त या बीमार जानवरों का रेस्क्यू कर इलाज, नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है। उनका कहना है कि जानवरों पर अत्याचार हमारी सभ्यता और संस्कृति—जहां जानवरों-पक्षियों की पूजा तक होती है—दोनों के खिलाफ है।

अंत में उन्होंने लोगों और प्रशासन से अपील की,

'कृपया स्ट्रीट एनिमल को परेशान न करें। उन्हें भी दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट इन बेजुबान जानवरों पर दया करे और उनके हित में सकारात्मक कदम उठाए।'

सम्पादकीय

पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट में बदलाव की प्राक्रिया का विरोध

टीएमसी की अतिशियोक्ति चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं, यह कहना है तृणमूल कांग्रोस के उस प्रातिनिधिमंडल का जो चुनाव आयोग की पूरी बैंच के साथ दो दिन पहले मिला था। पामि बंगाल में जारी वोटर लिस्ट में बदलाव की प्राव्रिया के बीच तृणमूल कांग्रोस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के नेतृत्व में पाटा के दस सदस्यीय प्रातिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की। ओ ब्रायन ने मीटिग के बाद कहा कि पाटा ने चुनाव आयोग के सामने पांच सवाल उठाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश वुमार ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तृणमूल के सांसदों का कहना था कि यदि एसआईआर का उद्देश्य नकली वोटरों और घुसपैठियों का पता लगाना है तो फिर बंगाल ही क्यों? मेघालय और त्रिपुरा में क्यों नहीं? जबकि इन राज्यों की सीमाएं भी बांग्लादेश से मिलती हैं।

हालांकि तृणमूल कांग्रोस सांसदों को सुनने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर सभी राज्यों में होना है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम इन एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से जल्दबाजी में इसे लागू किया जा रहा है उस पर एतराज है। एसआईआर के लिए उन्होंने समय बढ़ाने के लिए भी मांग की। तृणमूल कांग्रोस के प्रातिनिधिमंडल ने जब शुव्रवार को चुनाव आयोग की पूरी पीठ से मुलाकात की तो उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि पामि बंगाल में एसआईआर के कारण कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हाथ खून से सने हैं। हमने 5 सवाल उठाए और चुनाव आयोग ने एक घंटे तक बिना रूके हमसे बात की। जब हम बोल रहे थे तब हमें भी नहीं टोका गया लेकिन हमारे पांच सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि प्रातिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर उन्हें 40 ऐसे लोगों की सूची सौंपी जिनकी मौत कथित तौर पर एसआईआर प्राव्रिया से जुड़ी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आयोग ने इन्हें केवल आरोपी कहकर खारिज कर दिया। सांसदों की चुनाव आयोग से करीब 40 मिनट में कल्याण बनजा, महुआ मोइत्रा और ममता बाला ठावुर ने अपनी बात रखी और जो कहना था वो कहा। उन्होंने कहा, इसके बाद सीईसी ने एक घंटे तक बिना रूके बात की। जब हम बोल रहे थे तब हमें भी नहीं टोका गया, लेकिन हमें हमारे पांच सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सांसदों के प्राश्नों का संतोषजनक जवाब न देना इस प्राव्रिया के औचित्य और उपलब्धता पर सवाल उठ रहा है। एसआईआर से जुड़े संदेहों का दूर न होना शुभ संकेत नहीं है। एसआईआर के राजनीतिक पहल को समझा जा सकता है। खासकर बंगाल में जहां भाजपा और तृणमूल की कड़ी टक्कर होने का अंदाजा है। लेकिन इससे जुड़ी चिताओं को भी खारिज नहीं कर सकते। एसआईआर की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं है और न ही आयोग के अधिकार पर। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है। लेकिन विपक्ष की चिताओं को दूर करना भी आयोग की ही जिम्मेदारी है। विपक्ष को अगर लग रहा है कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है तो देश की इस संवैधानिक संस्था को न केवल इनका संतोषजनक जवाब देना होगा। बल्कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्राव्रिया भी अपनानी होगी।

साइबर सुरक्षा अवसंरचनाःपूरे देश में एक समेकित और नियामत प्रणाली

(जीएनएस)।

सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में एक समेकित और नियामत प्रणाली बनाई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (एनएससीएस) के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (एनसीएससी) अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पक्का करता है, जबकि इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्4सी) साइबर अपराध से नियामक और असरदार तरीके से निपटता है।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) कानून, 2000 के सेक्शन 70बी के प्रावधान के तहत साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर जवाब देने के लिए नेशनल एजेंसी बनाया गया है। सीईआरटी-इन, प्रोएक्टिव खतरे को कम करने के लिए अलग-अलग क्षेत्र के संगठनों के साथ खास अलर्ट शेयर करने के लिए एक ऑटोमेटेड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चलाता है। सीईआरटी-इन द्वारा लागू किया गया नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी), साइबर सिक्योरिटी खतरों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस की जांच करता है। यह एक्शन लेने के लिए संबंधित ऑर्गनाइजेशन, राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर करता है। सीईआरटी-इन समय-समय पर लेटेस्ट साइबर खतरों/कमजोरियों के बारे में अलर्ट और एडवाइजरी जारी करता है।

सरकार ने आईटी कानून, 2000 के सेक्शन 70ए के प्रावधान के तहत देश में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) भी बनाया है। एनआईसी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासन के मंत्रालयों, डिपार्टमेंट और एजेंसियों को अलग-अलग ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) सहायता देता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रैक्टिस को फॉलो करता है, जिसका मकसद साइबर अटैक को रोकना और डेटा को सुरक्षित रखना है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर क्राइम, साइबर जासूसी, साइबर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी के खतरों, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और इसी तरह की चिंताओं से असरदार तरीके से निपटने के लिए आईबी, सीआईआरए, डीसीवाईए, डीओटी, सीईआरटी-इन, क्4सी, एनसीआईआईपीसी और एनआईसी जैसी भागीदार एजेंसियों के साथ एमएसी (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के तहत सीवाईएमएसी (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) बनाया है। सीवाईएमएसी प्लेटफॉर्म सभी साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों में साइबर रेजिलिएंस बढ़ाने के लिए एक यूनिफाइड और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स क्षमताओं को इनेबल करके, यह

साइबर सिक्योरिटी रिस्क को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव डिटेक्शन और एनालिसिस और कोलेबोरेटिव अप्रोच पक्का करता है। सभी एजेंसियों को नेशनल साइबर डिफेंस को मजबूत करने और इंडियन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट होने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

असम में एक नई नेशनल साइबर फोरेंसिक (इन्वेस्टिगेशन) लैबोरेटरी बनाई गई है, ताकि मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन और सिक्किम में काम करने वाले सभी एलईए को साइबर फोरेंसिक सुविधाएं दी जा सकें और उनकी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। यह 29.08.2025 से चालू है।

नेशनल साइबर फोरेंसिक (इन्वेस्टिगेशन) लैबोरेटरी त्रएनसीएफएल(क)त्र, एक 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट' फैसिलिटी है, जिसे 2019 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्4सी) के तहत द्वारका, नई दिल्ली में एलईए और दूसरी सेंट्रल एजेंसियों को जांच के दौरान फोरेंसिक मदद देने के लिए बनाया गया है। एनसीएफएल की सेवाओं या सुविधाओं का इस्तेमाल देश भर के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर रहे हैं। 31.10.2025 तक, एनसीएफएल ने साइबर क्राइम से जुड़े लगभग 12,952 साइबर मामलों में राज्य एलईए को अपनी सर्विसेज दी हैं। 31.10.2025 तक, 2118 एलईए के लोगों को नवीनतम फोरेंसिक टूल्स और टेक्नीक्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक लैब्स महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम प्रिवेंशन (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत बनाई गई थीं, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, गृह मंत्रालय ने साइबर फोरेंसिक कंसल्टेंट्स बनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। 33 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-कम-ट्रेनिंग लैब्स शुरू की गई हैं।

सीईआरटी-इन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तालमेल और जानकारी शेयर करने में मदद के लिए नॉर्थ-ईस्टर्न इलाके समेत राज्यों में ड्रिल के साथ वर्कशॉप करता है।

इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (क्4सी) के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम (जेसीसीटी) बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे देश को कवर करती हैं। ये टीमें साइबर क्राइम हॉटस्पॉट/मल्टी-ज्यूरिस्डिक्शनल मामलों वाले इलाकों के आधार पर काम करती हैं। इसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है ताकि राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जा सके।

समन्वय प्लेटफॉर्म को साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग और एनालिटिक्स के लिए एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा रिपॉजिटरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों (एलईए) के लिए एक तालमेल मंच के तौर पर काम करने के लिए चालू किया गया है। यह अलग-अलग राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेश में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के एनालिटिक्स आधारित इंटरस्टेट लिंकेज देता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों की जगहों और क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप पर दिखाता है ताकि अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को उनकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को क्4सी और दूसरे एसएमई से टेक्नो-लीगल मदद मांगने और पाने में भी मदद करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच मदद का अनुरोध किया गया है।

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म, जिसका नाम 'सीवाईट्रेन' है, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक और प्रॉसिक्यूशन में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए है। यह प्रमाणपत्र देने के साथ मानक ऑनलाइन कोर्स देता है, जिससे सभी एजेंसियों में एक जैसा कौशल विकास पक्का होता है। 31.10.2025 तक पोर्टल के जरिए 1,44,895 पुलिस अधिकारी/जज/प्रॉसिक्यूटर/सीपीओ/सीएपीएफ रजिस्टर्ड हैं और 1,19,628 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल, दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र घोषित

सरकार ने 'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र घोषित किया

समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र नामित किया गया

प्रविष्टि तिथिः 02 ऊ्ए 2025 5:07ढट८ ढक्ह ऊ्

सरकार ने 'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र के रूप में नामित किया है, जिसमें समुद्री खाद्य और काजू को संभावित निर्यात उत्पादों के रूप में शामिल किया गया है। यह मान्यता जिले की प्रबल निर्यात क्षमता को रेखांकित करती है और देश भर में संतुलित एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। इस पहल के अंतर्गत पहचाने गए केन्द्रित क्षेत्रों से स्थानीय उद्योग को और मजबूत करने, मूल्यवर्धित गतिविधियों को बढ़ाने और क्षेत्र में उद्यमों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार करने की उम्मीद है। इस प्रयोजन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा देना और जिले के भीतर दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना है।

रसद संबंधी व्यवधानों का सामना कर रहे निर्यातकों के लिए सहायताः डीईएच पहल के अंतर्गत, सरकार ने रसद दक्षता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और माल ढुलाई में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैंः

1. जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी): जिला स्तर पर सुधार के लिए लक्षित सिफारिशों के साथ संपर्क संबंधी मुद्दों, भंडारण घाटे, पैकेजिंग और परीक्षण बुनियादी ढांचे जैसे रसद अंतरालों की पहचान।

2. एसईपीसी और डीईपीसी का संचालनः राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियां, जिला प्राधिकारियों, सीमा शुल्क, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, एमएसएमई निकायों और उद्योग संघों के बीच समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती हैं ताकि लॉजिस्टिक्स मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जा सके।

3. बुनियादी ढांचे और रसद में वृद्धिः उपायों में संपर्क में सुधार, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, भंडारण और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना और बंदरगाहों और शुष्क बंदरगाहों के साथ संपर्क को मजबूत करना शामिल है।

4. ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावाः अमेजन, शिपरॉकेट और डीएचएल जैसे प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी एमएसएमई को माल ढुलाई दर में अस्थिरता के विपरीत बफर करने के लिए लागत प्रभावी कूरियर और छोटे-खेप शिपिंग विकल्प प्रदान करती है।

5. डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके): दस्तावेजीकरण, पैकेजिंग और छोटे पार्सल शिपमेंट के लिए डाक निर्यात सुविधाओं का विस्तार, रसद व्यवधानों के दौरान वैकल्पिक चैनल प्रदान करना।

6. क्षमता निर्माण और आउटरीचः डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण और जिला प्रशासन लॉजिस्टिक्स योजना, निर्यात प्रक्रियाओं, पैकेजिंग मानदंडों और अनुपालन आवश्यकताओं पर निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

7. निर्यात निष्पादन की निगरानीः उभरती चुनौतियों की पहचान करने और उत्तरदायी हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए जिलावार निर्यात आंकड़ों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

निर्यात केंद्र के रूप में ज़िले (डीईएच) पहल के अंतर्गत , सरकार ज़िला-विशिष्ट निर्यात बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया अपना रही है, जिसमें रसद, संपर्क और भंडारण से संबंधित बाधाएं भी शामिल हैं। दक्षिण कन्नड़ ज़िले के लिए, एक ज़िला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है, जिसमें बेहतर निर्यात बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें न्यू मैंगलोर बंदरगाह तक बेहतर संपर्क, भंडारण और समेकन सुविधाओं का विस्तार, और पहचाने गए निर्यात उत्पादों के लिए सहायक बुनियादी ढांचा शामिल है।

इसके अलावा, जिला अधिकारियों, निर्यातकों, बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क, रसद एजेंसियों और संबंधित राज्य एवं केंद्रीय विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से, डीईएपी में चिन्हित बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं—जिसमें बंदरगाह से जुड़े भंडारण और रसद सहायता शामिल है—को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित विचार-विमर्श के लिए शुरू किया जा रहा है।

'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स' पहल एक सुविधाजनक और परामर्शी ढांचे के रूप में कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला-स्तरीय निर्यात आवश्यकताओं को क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास प्रयासों के साथ संरेखित किया जाए, जिसमें न्यू मैंगलोर पोर्ट से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं, जिससे दक्षिण कन्नड़ जिले में समग्र निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल एक सुविधाजनक ढांचे के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य जिला-स्तरीय निर्यात क्षमता को मजबूत करना और स्थानीय मूल्य-श्रृंखला विकास का समर्थन करना है।

यह पहल नीचे दी गई जागरूकता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मूल्य-श्रृंखलाओं को बनाए रखने में सहायता करती हैः

- जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी): प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परीक्षण और रसद में मूल्य-श्रृंखला अंतराल की पहचान।
- संस्थागत समन्वयः डीईपीसी/एसईपीसी बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों, निर्यातकों और संबंधित एजेंसियों के बीच अभिसरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण सुविधाः बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए भंडारण, सामान्य सुविधा केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच सहायता को बढ़ावा दिया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता दी

सरकार ने डीपीआईआईटी मान्यता संरचना के माध्यम से स्टार्टअप विकास को सुदृढ़ किया

(जीएनएस)।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 31 अक्टूबर 2025 तक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,97,692 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। ये मान्यताएं 19 फरवरी 2019 की जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान की गई हैं, जो संस्थाओं को स्टार्टअप्स के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों को रेखांकित करती हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक 6,385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद (अर्थात, भंग/समाप्त) श्रेणी [11 नवंबर 2025 को साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर] में हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार बंद (अर्थात, भंग/समाप्त) श्रेणी में आने वाली संस्थाओं की संख्या अनुलग्नक-क में दी गई है।

सरकार ने स्टार्टअप्स के बंद होने की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं देखी है। जो बंद होते हैं, वे आमतौर पर

व्यावसायिक मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के साथ संयोजन, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, विकसित उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्तपोषण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय-विशिष्ट कारकों से प्रभावित होते हैं।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख योजनाओं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को कार्यान्वित कर रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तपोषण के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ एफएफएस की स्थापना की गई है। इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में एआईएफ को प्रतिबद्ध और वितरित राशि अनुलग्नक-क्क में दी गई है।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से 945 करोड़ रुपये के कोष के साथ प्रचालनगत किया गया है। कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 31 अक्टूबर 2025 तक इनक्यूबेटरों को स्वीकृत और वितरित की गई राशि अनुलग्नक-क्क्क में दी गई है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया गया है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू हो गया है। कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 31 अक्टूबर 2025 तक स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋणों की राशि अनुलग्नक-क्ष में दी गई है।

यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सरकार ने चाय विकास और संवर्धन योजना के माध्यम से असम के चाय सेक्टर को मजबूत किया

चाय बोर्ड द्वारा उत्पादकता और उत्पादक सशक्तिकरण के प्रयासों के साथ असम के चाय उद्योग को बढ़ावा

(जीएनएस)।

भारत सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से असम राज्य सहित पूरे देश में चाय विकास एवं संवर्धन योजना (टीडीपीएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, बाजारों में प्रवेश करने वाली चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्यात में वृद्धि करना, छोटे चाय उत्पादकों को स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एसएचजी/एफपीओ) के गठन के लिए संगठित करना है। इससे वे मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकेंगे, एसएचजी/एफपीओ द्वारा लघु चाय फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा सकेंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेंगा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत, चाय बोर्ड के कुल बजट में से 152.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और चाय बोर्ड द्वारा 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान असम राज्य के लिए विशिष्ट गतिविधियों के लिए 150.20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था।

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छोटे उत्पादकों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत, असम राज्य में 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ 437.42 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का पुनः रोपण; 318 एसएचजी, 143 एफपीओ और 26 एफपीसी का गठन; 31 मिनी चाय कारखानों की स्थापना; चाय बागानों के 30.32 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में बदलना; 30 फार्म फील्ड स्कूलों की स्थापना और 1343 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। भारतीय चाय का निर्यात, जिसमें असम चाय भी शामिल है, 7.15 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ 2021-22 में 751.07 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2024-25 में 923.89 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 'चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मई 2023 में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशों के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी।

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की बागान स्कीमों के संतोषजनक कार्यान्वयन के साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों के एसएचजी/एफपीओ के गठन और चाय कारखानों की स्थापना में उनकी सहायता करने में इसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

'काशी तमिल संगमम्' से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध हो रहे मजबूत : डॉ. एल. मुरुगन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 02 दिसंबर से वाराणसी में शुरू हो रहे 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

'काशी तमिल संगमम्' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण पहल है, इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मिल रहा है बल : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

'काशी तमिल संगमम्' से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध हो रहा है और मजबूतः केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 02 दिसंबर से वाराणसी के नमो घाट पर शुरू हो रहे 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में "काशी एवं तमिल की संस्कृति, महान व्यक्तित्वों एवं केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी नीतियों" विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि 'काशी तमिल संगमम्' का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जहां एक ओर काशी और तमिल की संस्कृति को आपस में जानने का अवसर मिलता है वहीं दूसरी ओर इससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक मजबूती मिलती है। डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि 'काशी तमिल संगमम्' प्रत्येक वर्ष अलग - अलग विषयों पर आयोजित किया जाता है, यह काशी तमिल संगमम् का चतुर्थ संस्करण है तथा इसका विषय है 'तमिल करकलाम' जिसका अर्थ है आइए तमिल सीखें। केंद्रीय मंत्री ने कहा इस प्रकार के आयोजन से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से स्थापित सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किये गये जी.एस.टी. सुधार एवं श्रम कानून सुधारों से देश की आम जनता को अत्यधिक फायदा हो रहा है।

काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाले 'काशी तमिल संगमम्' के इस चतुर्थ संस्करण में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगायी गयी चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु एवं काशी की महान विभूतियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं उनकी उपलब्धियां को दशार्या गया है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्टेशन पर सुरक्षा एवं सुविधा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित

मुंबई, पश्चिम रेलवे ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर, 2025 को दादर स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। लगभग 700 जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पुलों, प्रवेश/निकास द्वारों और रेलवे परिसर में चौबीसों घंटे तैनात किया जाएगा। स्टेशन पर 160 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष की 24x7 निगरानी के लिए स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा को उन्नत वीडियो एनालिटिक्स सुविधाओं जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम, पीपल डेंसिटी एनालिसिस, लेफ्ट-ओवर लगेज डिटेक्शन और लाइन-क्रॉसिंग अलर्ट आदि की सहायता से और मजबूत किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दादर स्टेशन पर आगंतुकों और चैत्यभूमि जाने वाले अनुयायियों की सहायता के लिए 24x7 कार्यरत कई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच कर्मचारी आगंतुकों को चैत्यभूमि, राजगृह, ट्रेन समय और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए आरपीएफ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जीआरपी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (इऊऊर) द्वारा लगातार एंटी-सैबोटाज जांच की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने बीएमसी एफओबी और तिलक एफओबी जैसे भीड़-प्रवण क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और रस्सियों के माध्यम से सेगरेगेशन की व्यवस्था की है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नियंत्रित डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। सुगम आवागमन के लिए सभी पुलों और द्वारों पर स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक लगाए गए हैं। चिकित्सा सहायता के लिए दादर स्टेशन पर डॉक्टर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सहित 24x7 सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन परिसर में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं ताकि उचित दृश्यता सुनिश्चित की जा सके।

पश्चिम रेलवे सभी अनुयायियों से धैर्य बनाए रखने और अपनी यात्रा के दौरान सहयोग करने की अपील करता है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी आगंतुकों को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे आवश्यक सुविधाएँ, समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

डीआरआई ने ई-सिगरेट तस्करी गिरोह के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया, तूतीकोरिन में 10.42 करोड़ रुपये मूल्य की 45,984 ई-सिगरेट जब्त की, 3 गिरफ्तार

(जीएनएस)।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 10.41 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से जुड़े एक बड़े तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई अधिकारियों को विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि ई-सिगरेट की तस्करी में शामिल एक गिरोह ने छतरी के साथ तूतीकोरिन बंदरगाह के माध्यम से चीन से ई-सिगरेट वाले एक कंटेनर को भारत में आयात करने की योजना बनाई है। उक्त जानकारी के आधार पर डीआरआई के अधिकारियों ने 27 नवंबर, 2025 को तूतीकोरिन में उक्त कंटेनर को रोका और उसकी जांच की।

उक्त कंटेनर की जांच के दौरान, कुछ डिब्बों में छतरियों का घोषित कार्गो पाया गया, जबकि एक बड़े हिस्से में छुपा कर रखी गई ई-सिगरेट पाई गई। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत 27

नवंबर, 2025 को 4.30 लाख रुपये मूल्य के 4,300 छतरियों के साथ छुपाई गई मिश्रित स्वादों की कुल 45,984 ई-सिगरेट मिलीं, जिनकी कुल कीमत 10.41 करोड़ रुपये है।

तेजी से कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने खेप को ले जाने में शामिल चेन्नई के तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया।

ई-सिगरेट का आयात इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 (पीईसीए अधिनियम) के साथ पठित डीजीएफटी अधिसूचना सं. 20/2015-2020 दिनांक 26 सितंबर, 2019 के तहत और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है।

डीआरआई देश भर में निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन की कार्रवाइयों के माध्यम से ई-सिगरेट जैसे प्रतिबंधित और हानिकारक सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाकर देश के आर्थिक हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से वाराणसी के लिए सात विशेष ट्रेनें चला रहा है

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच सात विशेष रेलगाडियों का संचालन कर रहा है ताकि चौथे काशी तमिल संगमम में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तमिल भाषी क्षेत्र व काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। इन विशेष ट्रेनों को इस बहु-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए निर्बाध यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।

29 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी से पहली ट्रेन के रवाना होने के साथ इन सेवाओं की शुरूआत हुई थी। इसके बाद आज चेन्नई से एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन रवाना हुई। अगली प्रस्थान 3 दिसंबर को कोयंबटूर से, 6 दिसंबर को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई से एक और सेवा निर्धारित है। इन नियोजित प्रस्थानों के साथ, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनें एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से चलेंगी।

समय पर वापसी की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे

ने बनारस से कई विशेष रेलगाडियों की व्यवस्था की है। इनमें 5 दिसंबर को कन्याकुमारी, 7 दिसंबर को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को चेन्नई, 13 दिसंबर को कन्याकुमारी, 15 दिसंबर को कोयंबटूर और 17 दिसंबर 2025 को चेन्नई के लिए भी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलेंगी।

आज से शुरू हो रहा काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण तमिलनाडु और काशी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध को निरंतरता देता है। यह संस्करण "आइए तमिल सीखें-तमिल करकलम" विषय पर केंद्रित है, जो वाराणसी के स्कूलों में तमिल शिक्षण पहल, काशी क्षेत्र के छात्रों के लिए तमिलनाडु के अध्ययन दौरों और तेनकाशी से काशी तक प्रतीकात्मक ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

काशी तमिल संगमम 4.0, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाता है जो लोगों को अपनी संस्कृति के अलावा अन्य समृद्ध संस्कृतियों को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में शामलि हैं। रेलवे सहित दस मंत्रालयों की भागीदारी से, यह कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकताओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक विधियों और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होता है।

इन सात विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस यात्रा कार्यक्रम का समन्वय कर, भारतीय रेलवे देश के विविध क्षेत्रों को जोड़ने तथा तमिलनाडु व काशी के बीच साझा विरासत को सुदृढ़ करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

एमएसएमई के लिए ऋण मूल्यांकन को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार ने क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ किया

डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गईं

(जीएनएस)।

सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिड असेसमेंट मॉडल (सीएएम) का शुभारंभ किया है। यह मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त एवं सत्यापित किए जा सकने वाले डेटा का उपयोग करता है तथा सभी ऋण आवेदनों के मूल्यांकन के लिए वस्तुलिस्ट निर्णय-आधारित स्वाचालित प्रक्रियाएं विकसित करता है। इसके तहत बैंक के मौजूदा ग्राहकों एवं नए ग्राहकों दोनों प्रकार के एमएसएमई ऋणकताओं के लिए मॉडल आधारित सीमा निर्धारण किया जाता है।

सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और नेशनल पेमेंट कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें कर रहे हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य के बीएचआईएम-यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना तथा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पहली जून, 2020 को शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-एसवीएनिधि) योजना को अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबार में सहायता हेतु दिए जाने वाले ऋण को तीन किस्तों में क्रमशः 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। योजना में शामिल अन्य सुविधाओं में यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसकी क्रेडिट सीमा 30,000 रुपये होगी तथा डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन और मिलावट नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है और सॉफ्टेल योजना के तहत 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षण की बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए एफएसएसएआई के समर्थन से 305 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं खरीदी हैं

(जीएनएस)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा ज़िम्मेदारी है। जहाँ एफएसएसएआई, विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है, वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और

अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों और अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, नियमित रूप से स्थानीयकृत/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाता है। खाद्य सुरक्षा के दायरे को समझने के लिए आँकड़े एकत्र करने और फिर खाद्य सुरक्षा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और मानक निर्धारण के लिए प्रासंगिक आँकड़े प्रदान करने हेतु, समय-समय पर मुख्य खाद्य पदार्थों और मिलावट की संभावना वाली वस्तुओं पर व्यवस्थित तरीके से निगरानी कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए 246 राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन बोर्ड प्रत्यायन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया गया है, जो मुख्यतः केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों के स्वामित्व में हैं।

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य परीक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, एफएसएसएआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को "देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करना जिसमें मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान शामिल है" (सॉफ्टेल) योजना के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है । इस योजना के तहत, 47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंडों के क्षेत्र में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। परीक्षण क्षमताओं में अंतर को पाटने और दूरदराज के क्षेत्रों में मौके पर खाद्य परीक्षण के लिए आउटरीच का विस्तार करने के लिए, जहां प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे की कमी है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एमएफटीएल) को तैनात किया है। अब तक, 541 एमएफटीएल के लिए एफएसएसएआई द्वारा दी गई धनराशि के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 305 एमएफटीएल खरीदे और तैनात किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मछुआरों की सुरक्षा हेतु बीमा की सुविधा और समुद्री सीमा में बचाव हेतु फिशिंग वेसल्स पर 1 लाख जियो फेसिंग ट्रांसपोंडर लगाने का काम प्रगति पर

(जीएनएस)।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोपरि महत्व देती है और अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (ढटटर) के तहत समुद्र में मत्स्यन के दौरान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को (८) पारंपरिक और मोटोराइज्ड फिशिंग वेसल्स के मछुआरों को जीपीएस, लाइफ जैकेट, लाइफबॉय और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों, रडार रिफ्लेक्टर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फ्लेयर्स का सेट, बैकअप बैटरी, सर्च और रेस्क्यू बीकन आदि से युक्त सुरक्षा किट, (८) फिशिंग वेसल्स पर कम्यूनिकेशन और ट्रैकिंग उपकरण, (८) पोटेंशियल फिशिंग जोन (ढऋे) उपकरण आदि प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने ढटटर के

तहत 50.05 करोड़ रुपए की कुल लागत से समुद्री मछुआरों को 14,300 संचार(कम्यूनिकेशन) उपकरणों की आपूर्ति के लिए विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

ढटटर अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों को मृत्यु और शारीरिक अक्षमता पर बीमा कवर और फिशिंग वेसल्स के बीमा के लिए बीमा प्रीमियम अनुदान (सबवेनशन) प्रदान करता है। मछुआरों को प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में शामिल हैं (८) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए ₹5.00 लाख, (८) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए ₹2.50 लाख और (८) अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च के लिए ₹25,000/- का कवरेज। फिशिंग वेसल्स के बीमा के लिए बीमा प्रीमियम में छूट, हल्ल, मशीनरी, फिशिंग नेट सहित एक्सेसरीज के नुकसान, कलिशन लायबिलिटी, कुल नुकसान, आंशिक नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए है। विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, ढटटर के तहत प्रतिवर्ष औसतन 32.82 लाख मछुआरों के साथ कुल 131.30 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (ढटटर) के तहत सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर लगाने के लिए कुल 364 करोड़ रुपए की लागत से वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम (ठफ़रउरर) के नेशनल रोलआउट के एक और प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 100% सरकारी सहायता से कुल एक लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर्स लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपोंडर में जियो-फेंसिंग फीचर हैं और ये मछुआरों को समुद्री सीमा के पास पहुँचने या उसे पार करने पर अलर्ट देते हैं ताकि समुद्री सीमा पार करने की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ठफ़रउरर परियोजना के तहत, अब तक मरीन फिशिंग वेसल्स पर कुल 45051 ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं, इसमें तमिलनाडु में ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत लगाए गए 3,884 ट्रांसपोंडर भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभाग, भारतीय तटरक्षक के साथ मिलकर नियमित रूप से मछुआरों के साथ सामुदायिक संवाद कार्यक्रम/कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम (उक्ढर) कर रहे हैं, ताकि उन्हें समुद्र में जीवन सुरक्षा के महत्व, जीवन रक्षक इक्विपमेंट ले जाने, पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट के उपयोग के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें समुद्री सीमा न लांघने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ये जानकारी मत्स्य, पशुपालन और डेरी मंत्रालय के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भारत सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश को लेकर जबरदस्त रूचि देखी गई

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में अपनी 6.0 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया। इसमें 5 प्रतिशत इक्विटी और अतिरिक्त 1 प्रतिशत ग्रीनशू विकल्प के तौर पर शामिल है, जिसकी फ्लोर प्राइस 54.0 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। कुल पेशकश में से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष गैर-खुदरा निवेशकों को आवंटित की जाएगी।

2 दिसंबर, 2025 को, गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली के पहले दिन, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को लेकर जबरदस्त रूचि देखी गई। यह निर्गम आधार के आकार से 4.07 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार के प्रबल विश्वास को दर्शाता है। ओवरसब्सक्रिप्शन को देखते हुए, सरकार ने ग्रीनशू विकल्प का पूर्ण इस्तेमाल किया, जिससे बीओएम की प्रदत्त पूंजी का कुल विनिवेश 6.0 प्रतिशत हो गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीओएम न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करे।

आज की सफल गैर-खुदरा बोली प्रक्रिया के बाद, ओएफएस 3 दिसंबर, 2025 (बुधवार) को खुदरा निवेशकों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए खुल जाएगा। सरकार ने पात्र निवेशकों को इस पेशकश में भाग लेने और सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेर्शों में बैंकों को क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहक सेवाएँ प्रदान करने के निर्देश सम्मिलित हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को त्रिभाषी सामग्री जारी करने, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करने और प्रभावी ग्राहक संपर्क के लिए कर्मचारियों की स्थानीय भाषा दक्षता सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गय है

(जीएनएस)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ग्राहक सेवाओं पर बैंकों को जारी दिशानिर्देश, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर व्यापक निर्देश प्रदान करते हैं ताकि बैंक क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवा प्रदान कर सकें। बैंकों को शाखाओं के सामान्य प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का भी परामर्श दिया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सभी काउंटरों पर संकेतक बोर्ड प्रदर्शित करना, ग्राहकों को बैंक में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के सभी विवरणों वाली पुस्तिकाएँ प्रदान करना, खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सभी मुद्रित सामग्री जैसे कि खाता खोलने के फॉर्म, भुगतान पर्ची, पासबुक आदि उपलब्ध कराना, ग्राहक निवारण आदि को हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, बैंकों के पास क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी संपर्क केंद्र और डिजिटल चैनल हैं।

वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बैंकों में ग्राहक सेवा के बारे में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेर्शों का पालन करने का भी परामर्श दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भेजे अपने पत्र में फिर से कहा है कि ग्राहकों को सभी पत्र-व्यवहार अनिवार्य रूप से त्रिभाषी प्रारूप - हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में जारी किए जाने चाहिए। साथ ही, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजे अपने पत्र में परामर्श दिया है कि वे स्थानीय ग्राहकों के साथ उनकी स्थानीय भाषा में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में, प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) की भर्ती के लिए एक नीति बना सकते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इसका सक्रिय रूप से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा का कार्य मुख्य रूप से ग्राहक सेवा सहयोगियों (सीएसए) द्वारा किया जाता है, जहाँ भर्ती प्रक्रिया के दौरान, सीएसए को अब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के लिए एक स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) उत्तीर्ण करनी होगी जहाँ कर्मचारी तैनात होंगे। इससे क्षेत्रीय भाषाओं में निर्बाध संचार की सुविधा मिलती है और इससके परिणामस्वरूप प्रभावी ग्राहक सेवाएं मिलती हैं।

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

'हर धर्म का मूल सिद्धांत है प्रेम और करुणा': फादर डोनाल्ड डिसूजा

ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने 'पैयाम-ए-इंसानियत' संवाद का किया आयोजन

लखनऊः एकता और साझा उद्देश्य के प्रभावशाली प्रदर्शन में, ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने शनिवार को गवर्नर हाउस के सामने संगम बैंक्वेट में "पैयाम-ए-इंसानियत और हमारी जिम्मेदारी" विषय पर एक संवाद का आयोजन किया। यह कार्यक्रम धार्मिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के विचारशील नेताओं के एक महत्वपूर्ण मिलन के रूप में उभरा, जहाँ सभी ने शांति और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम स्थल पर 50 से अधिक प्रसिद्ध वक्ता मौजूद थे, जिनमें प्रमुख धार्मिक नेता, वरिष्ठ न्यायविद, उच्च सरकारी अधिकारी, प्रतिष्ठित डॉक्टर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एक स्वर में आज के सामाजिक-राजनीतिक माहौल में "संवाद के निमार्ता" और "बहुलवाद के रक्षक" बनने का संकल्प लिया।

उत्तर प्रदेश के बौद्धिक और आध्यात्मिक हलकों की प्रमुख हस्तियों ने इसमें भाग लिया। वक्ताओं में शामिल थे:

- मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पैयाम-ए-इंसानियत फोरम
- हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, अध्यक्ष, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया
- मौलाना सैफ अब्बास नकवी, अध्यक्ष, शिया मर्कजी चाँद कमेटी
- न्यायमूर्ति बी.डी. नकवी, पूर्व जिला न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति विकार अहमद अंसारी, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, प्रयागराज
- श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता, सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
- रेवरेंड फादर डोनाल्ड डिसूजा, चांसलर, कैथोलिक डायोसिस ऑफ लखनऊ
- पंडित श्री गुरु देव आचार्य जी, हिंदू धार्मिक नेता
- प्रो. एम.एल. भट्ट, निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान, और चिकित्सा, कानून, सिविल सेवाओं व सामाजिक कार्यों के क्षेत्र की कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियाँ।

चर्चा का केंद्र इंसानियत के इस शाश्वत संदेश को ठोस जिम्मेदारी में बदलना था। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि 'पैयाम-ए-इंसानियत' कोई सैद्धांतिक विचार नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की मूल भावना है, जो वेदों, बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं, ईसा मसीह की करुणा, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी और कुरान के "सभी जगतों के लिए रहमत बनने" के आदेश में गूंजती है।

एक साझा संकल्प में हर नागरिक की तीन-सूत्री जिम्मेदारी तय की गई:

1. संवाद के साहसी निमार्ता बननाः सोशल मीडिया से फैलते मतभेदों के दौर में, बुद्धिजीवियों ने वास्तविक बातचीत के लिए जगह बनाने, समझने के लिए सुनने और अलग राय में भी साझी मानवता ढूंढने का संकल्प लिया।

2. बहुलवाद के रक्षक बननाः इस जमावड़े ने इस बात की पुष्टि की कि भारत की असली ताकत "अनेकता में एकता" है और इस विविधता को रूढ़िवादिता, शक और नफरत की जहरीली सोच से बचाने का संकल्प लिया।

3. हमारी कहानियों को वापस लेनाः सामुदायिक सौहार्द की अनकही कहानियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि ये आवाजें मतभेद फैलाने वाली आवाजों से ऊपर उठ सकें।

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा, "इस्लाम की मूल शिक्षा 'रहमतुल्लिल आलमीन' है - यानी सभी सृष्टि के लिए रहमत बनना। पैगाम-ए-इंसानियत जैसे प्रयास हर शांतिप्रिय भारतीय के लिए एक धार्मिक जिम्मेदारी है।"

फादर डोनाल्ड डिसूजा ने कहा, "जब हम हर धर्म के मूल को देखते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी के प्रति प्यार और सभी के लिए करुणा की एक ही सुनहरी डोर मिलती है।"

पंडित श्री गुरु देव आचार्य जी ने कहा, "गीता हमें हर प्राणी में एक ही आत्मा देखना सिखाती है। जब देश के हित के लिए एक मौलाना और एक पंडित साथ बैठते हैं, तो यह पूजा का सबसे ऊँचा रूप है।"

श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने कहा, "जन सेवक और बुद्धिजीवी होने के नाते, हमारी जिम्मेदारी है कि सद्भाव की सही कहानी जनता तक पहुँचे।"

केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. डॉ. आर.के. गर्ग ने कहा, "जिस तरह शरीर के अंग आपस में लड़ने लगें तो शरीर खराब हो जाता है, उसी तरह अगर समुदाय आपस में टकराएँ तो राष्ट्र भी विफल हो जाता है।"

प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती तहिरा हसन ने डॉ. अम्मार अनिस नगरमी और ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की पहल की सराहना की।

ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के संयोजक श्री अहमद नगरमी ने सभी से आग्रह किया कि वे "भारत के शाश्वत संदेश - इंसानियत के मरहम लगाने वाले, सेतु निमार्ता और रखवाले" बनने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, "अगर हम सभी अपनङ्ग

हेल्थसिटी विस्तार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर और बेरियाट्रिक सर्जन डॉ. मोहित भंडारी के मध्य कोलेबोरेशन

लखनऊ, 2 दिसम्बर, 2025। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित हेल्थसिटी विस्तार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने अत्याधुनिक तरीके से मोटापा घटाने के लिए की जाने वाली बेरियाट्रिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर बैरियाट्रिक, मेटाबोलिक और रोबोटिक सर्जन इंदौर के डॉ. मोहित भंडारी के साथ कोलेबोरेशन किया।

यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए हेल्थसिटी विस्तार के मैनेजिंग डाइरेक्टर डॉ संदीप कपूर ने कहा कि हेल्थसिटी विस्तार की ओर से सर्जिकल टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ केबी जैन और डॉ मोहित भंडारी के बीच हुआ कोलेबोरेशन अस्पताल की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाओं को लखनऊ में उपलब्ध कराने के जो सपने देखे हैं, वह एक-एक करके पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मोटापा एक महामारी के रूप में अपने पैर फैला रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को अपने भाषण में मोटापा को लेकर चिंता जतायी थी तथा लोगों का आह्वान किया था कि वे अपने खानपान में कम से कम 10 प्रतिशत चिकनाई का प्रयोग कम करें। डॉ कपूर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अस्पताल में शुरू की गयी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेरियाट्रिक सर्जरी एक नया अध्याय लिखेगी।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैरियाट्रिक, मेटाबोलिक और रोबोटिक सर्जन डॉ मोहित भंडारी के साथ हुई यह पार्टनरशिप इस बात को दशार्ती है कि हेल्थसिटी विस्तार इस इलाके के सबसे तेजी से बढ़ते टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में से एक के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। डॉ कपूर ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में हेल्थसिटी विस्तार लखनऊ और उसके बाहर के मरीजों को वर्ल्ड-क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव और मिनिमली इनवेसिव ट्रीटमेंट सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि डॉ. मोहित भंडारी के साथ पार्टनरशिप से, लखनऊ और आस-पास के जिलों के लोग अब राज्य से बाहर जाए बिना इंटरनेशनल-क्वालिटी वाली बेरियाट्रिक और मेटाबोलिक केयर पा सकते हैं।

इस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए, मोहक बैरिएट्रिक्स एंड रोबोटिक्स के डायरेक्टर और चीफ सर्जन, डॉ. मोहित भंडारी ने कहा कि हेल्थ सिटी विस्तार लखनऊ मरीजों की देखभाल में बेहतरीन इलाज देने के हमारे विजन को शेयर करता है। हम साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव और मिनिमली इनवेसिव वेट-लॉस सॉल्यूशन देंगे जो लोगों को मोटापा कम करने, उनकी हेल्थ सुधारने और सुरक्षित व एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ उनकी ज़िंदगी बदलने में मदद करेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके तहत विभाग एडवांस्ड सर्विसेज की पूरी रेंज देगा, जिसमें शामिल हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी, गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी-गैस्ट्रिक बाईपास जैसी बेरियाट्रिक सर्जरी, टाइप-2 डायबिटीज से राहत के लिए मेटाबोलिक सर्जरी, लेटेस्ट एंडोस्कोपिक वेट-लॉस प्रोसीजर (गैस्ट्रिक बैलून, एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, जीएलपी-1 मॉलिक्यूल्स वाले खास मेडिकल वेट-लॉस सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर्ड ओबेसिटी और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए काउंसलिंग और पेशेंट सपोर्ट ग्रुप और लंबे समय तक फॉलो-अप और सर्जरी के बाद सपोर्ट।

अस्पताल के चीफ ऑफ सर्जरी डॉ के.बी. जैन ने इस कोलेबोरेशन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सुविधा विशेषकर उन मरीजों के लिए अपने स्वास्थ्य में बदलाव में सहायक होगी जिन्हें वजन घटाने के लिए उपायों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोटापा आज डायबिटीज, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, लिवर की बीमारियों की मुख्य वजह बनता जा रहा है, ऐसे में मोटापा घटाने के एक समाधान से अनेक समाधान निकाले जा सकते हैं।

हॉस्पिटल के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर रोशनी डालते हुए, एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ कंसल्टेंट, डॉ. अभिनव कुमार ने कहा कि भारत में बढ़ते मोटापे की महामारी को देखते हुए, अस्पताल में स्थापित इस सेंटर का मकसद सर्जिकल और नॉन-सर्जिकल वेट-लॉस सॉल्यूशन, दोनों के लिए एक लीडिंग हब बनना है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सेफ्टी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लंबे समय तक चलने वाले मरीजों के नतीजों पर रहेगा।

प्रत्यक्ष कर संबंधी शोधकार्य पर राहुल गुप्ता को पीएचडी की उपाधि मिली

लखनऊ, । भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर पर शोध भारत में प्रत्यक्ष करों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विश्लेषणात्मक अध्ययन मे संबंधित नियमों और भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी उपयोगिता पर किये गये महत्वपूर्ण शोधकार्य के लिये राहुल गुप्ता को पीएचडी उपाधि प्रदान की गयी है।सत्य साईं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गजराज सिंह के दिशानिर्देशन में संबंधित शोधकार्य को पूरा करने वाले राहुल गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि उनकी यह रिसर्च आर्थिक शोधार्थियों और अर्थव्यवस्था पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों के लिये बहुत उपयोगी साबित होगी।

भारत में प्रत्यक्ष करों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंडी समिति असोथर में एडीएम और डिप्टी आरएमओ का औचक निरीक्षण, केंद्र प्रभारियों पर लगी फटकार

धान तौल में गड़बड़ी के आरोप, बिचौलियों की भूमिका पर उठे सवाल; किसानों ने डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत की चेतावनी दी

फूल चंद्र वर्मा

मंडी समिति असोथर में शुक्रवार को एडीएम प्रवीण कुमार मीणा और डिप्टी आरएमओ समीर कुमार शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में हजारों कुंटल धान खुले में पड़ा देखकर अधिकारी भड़क गए। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण में पाया गया कि कई किसान बार-बार अपना धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन तौल प्रक्रिया सुचारु न होने से धान के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर डिप्टी आरएमओ समीर कुमार शुक्ला ने ऐसे किसानों को चिन्हित करने और मंडी परिसर में पड़े सभी धान का सत्यापन

कराने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि छोटे किसानों को प्राथमिकता देते हुए तौल कराई जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

एडीएम प्रवीण कुमार मीणा ने भी किसानों की धान तौल की सत्यापन प्रति अनिवार्य रूप से रखने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि बिना सत्यापन प्रति के किसी भी किसान को मंडी परिसर में प्रवेश न दिया जाए। वहीं एसएमआई अखिलेश यादव द्वारा किसानों पर दबाव बनाने और ट्रांसफर कराने की बात पर एडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे किसानों को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही।

उधर मौके पर मौजूद किसान ननकई, विशेषर, प्रदीप, रविदेव और दीपू ने आरोप लगाया कि मंडी में उनकी तौल नहीं की जा रही है और बिचौलियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय से तौल शुरू नहीं हुई तो वे डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत करने को मजबूर होंगे।

निरीक्षण के बाद एडीएम ने मंडी समिति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की सख्ती के बाद मंडी परिसर में हड़कंप मचा रहा।

अवैध अस्पतालों का काला खेल बेनकाब, वायरल वीडियो ने खोला पूरा राज

बिना डिग्री, बिना लाइसेंसङ्ग फिर भी धड़ल्ले से चल रहे ऑपरेशन

खखरेरू/ फतेहपुर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित अस्पतालों का नेटवर्क दिनों-दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मेडिकल डिग्री और बिना किसी लाइसेंस के लोग खुलेआम सर्जरी जैसा जोखिम भरा काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे अस्पतालों की मानो बाढ़ सी आ गई है, जहां सिर्फ सर्दी-जुकाम ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं।

वायरल वीडियो में मौत का खेल उजागर

एक ताजा वायरल वीडियो ने पूरे

इलाके में सनसनी फैला दी है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि —

एक कथित झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री केमहिला का ऑपरेशन करता नजर आ रहा है

लोगों का सवाल है कि यह झोलाछाप किसके संरक्षण में इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत करता है? किसके इशारे पर वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है?

वायरल वीडियो कस्बे में संचालित न्यू लीलावती अस्पताल का बताया जा रहा है हालांकि आपका अपना अखबार वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है

पूर्व में भी हो चुकी हैं मौतें, फिर भी नहीं टूटी खामोशी

क्षेत्र में संचालित कई अवैध अस्पतालों में

गलत इलाज,गलत इंजेक्शन,और लापरवाही के कारण पहले भी मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

लेकिन हर बार मामला जांचझ्र आश्वासन झ्र फिर खामोशी तक सीमित रह जाता है।परिणामस्वरूप ये अवैध अस्पताल गरीब और बेबस लोगों के लिए किसी यमराज के अड्डे से कम साबित नहीं हो रहे।

जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि—न तो नियमित निरीक्षण होते हैं,न ही अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई,न ही लाइसेंस की जांच,और न ही झोलाछाप डॉक्टरों की रोकथाम इसी लापरवाही ने इन अस्पतालों को और बेतहाशा बढ़ावा दिया है

वायरल वीडियो के संबंध में डिप्टी सीएमओ इश्तियाक अहमद से कई बार दूरभाष के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई परन्तु फोन रिसीव नहीं हुआ।

दबंग पड़ोसी पर जमीन पर कब्जे का आरोप, उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार

कब्जा रोकने पहुंची पुलिस के सामने महिलाओं को जूते से पीटने की दी धमकी

खखरेरू / फतेहपुर — थाना क्षेत्र के नगर पंचायत खखरेरू निवासी रणजीत सिंह ने अपनी पैतृक भूमि पर दबंग पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है।

मिली जानकारी के मुताबिक गाटा संख्या 787 रकबा 0.5940 हेक्टेयर भूमि पर उक्त दबंग पड़ोसी चंद्रिका प्रसाद पुत्र फूलचंद ने जबरन कब्जा कर मकान निर्माण हेतु नींव खुदवाना शुरू कर दिया। पीड़ित रणजीत सिंह द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने

मारपीट की धमकी दे डाली।

पीड़ित की शिकायत पर उपजिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। इसी दौरान दबंग पड़ोसी ने पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए आदित्य केसरवानी ने जूते से मारने की धमकी दी। वायरल वीडियो में आरोपी पुलिस को भी खरीद लेने की बात कहते हुए सुना जा रहा है।

हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि आपका अपना अखबार नहीं करता है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर वहां पर हो रहा निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस कर्मियों को मास्क अनिवार्य करने का प्रस्ताव, पूर्व कमिश्नर असीम अरुण ने किया स्वागत

कानपुर। शहर की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ङ्ग४३ँ ६''ी१२ ऋङ्क४ल्ल३िङ्गल्ल हऋ के संस्थापक श्री उत्कर्ष गुप्ता ने आज समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक का मुख्य केंद्र पुलिस विभाग विशेषकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए मास्क के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रहा।

वर्तमान समय में शहर में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ चुका है, जिसने फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में हऋ ने मंत्री के समक्ष मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाने की पैरवी की। इस पहल को

सहज और सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जल्द ही कानपुर कमिश्नरेट से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

इस मुहिम को धरातल पर उतारने के लिए हऋएक अभिनव योजना पर काम कर रहा है। संस्था ने कोविड काल में ट२२ङ्गल्ल ऊ२स्रङ्गरी डा अभियान के तहत एक मास्क डिस्पेंसिंग मशीन विकसित की थी। उसी सफल मॉडल पर अब एक नई मशीन विकसित करने की योजना है, जिसे शहर के प्रमुख चौराहों पर स्थापित किया जाएगा।

आम नागरिक इस मशीन से मात्र 5 रुपये में उच्च गुणवत्ता वाला मास्क प्राप्त कर सकेंगे। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के कर्मियों को मास्क निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो सके।

इस दौरान मंत्री श्री असीम अरुण जी जो पूर्व में कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, ने शहर की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शहरवासियों का कुशलक्षेम भी पूछा और फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की।

हऋ की इस मुहिम में अन्य सामाजिक संगठनों को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से कानपुर को अधिक सुरक्षित और जागरूक शहर बनाया जा सके।

दबंग फैजी ने सरेआम मुतवल्ली के भाई को पीटा, पुलिस के सामने गुंडों का नंगा नाच!

कानून की मौजूदगी में चला गुंडागर्दी का शो,

एजेंसी

लखनऊ। अगर आप सोचते हैं कि लखनऊ की तहजीब और शराफत खत्म हो गई है, तो तालकटोरा कर्बला में बीते शुक्रवार को मंचित हुए त्रिकाल नाटक को जरूर देखें। पूर्व मुतवल्ली फैजी और उनके कलाकार समूह ने दिन भर में तीन जबरदस्त परफॉर्मेंस दीं, जिसने बता दिया कि यहाँ की जमीन पर अब अवैध वसूली और गुंडागर्दी ही सबसे बड़े धार्मिक सिद्धांत हैं।

दोपहर 3:30 बजे नाटक का श्रीगणेश हुआ जब मुतवल्ली शादाब आगा के भाई, अफसर आगा, ने यह पूछने की गुस्ताखी कर दी कि आखिर कर्बला परिसर में अवैध रिक्शा चार्जिंग, अस्थाई निर्माण और अवैध वसूली जैसे पवित्र कार्य क्यों चल रहे हैं।

इस नापाक सवाल से नाराज होकर, फैजी साहब और उनके 10-12 अनुशासित शिष्यों ने तुरंत शांति

पाठ शुरू किया। शिकायत के अनुसार, गालियों के मधुर संगीत और जान से मारने की नीयत से हुए लात-घूंसों ने अफसर आगा को सच्चाई बोलने की सजा तुरंत दे दी। वाह! क्या त्वरित न्याय है!

शाम 4:30 बजे जब पहला दृश्य समाप्त हुआ, तो दर्शकों को लगा कि अब शांति होगी। लेकिन फैजी समूह के पास एंटरटेनमेंट का भंडार था। अगला निशाना बने सुरक्षा गार्ड मोहसिन उर्फ लल्लू, इन्हें गेट न० 6 पर घेरकर मुखबिरी और कबरें तोड़ने जैसे अत्यंत गंभीर आरोपों के लिए सम्मानित किया गया। वजाहत और उनके 8-10 अज्ञात साथियों ने लात-घूंसों से गार्ड का अभिनंदन किया, ताकि उन्हें पता चले कि अवैध गतिविधियों के बारे में बोलना कितना खतरनाक होता है।

पुलिस की मौजूदगी में वीआईपी गुंडागर्दी ने शाम 7:00 बजे सबसे मजेदार दृश्य, जो बताता है कि ताकतवर का रुतबा क्या होता है, वह शाम 7 बजे आया। जब मुतवल्ली शादाब आगा पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुँचे, तो फैजी और उनके दबंग साथियों ने पुलिस के सामने ही उन्हें घेर लिया। शिकायत में कहा गया है कि, पुलिस की मौजूदगी में यह धमकी देते हुए, पुलिस बाहर करके गुंडागर्दी की धमकी देते हुए, हमला कर दिया गया। यानी पुलिस की वर्दी को एक तरह से हॉलिडे ब्रेक पर भेज दिया गया और बताया गया कि, आप यहाँ सिर्फ. दर्शक हैं।

पुलिस ने फिर भी हस्तक्षेप करके इस लाइव परफॉर्मेंस को बंद करवाया। मूतवल्ली शादाब आगा ने अब विनम्रतापूर्वक अधिकारियों से ऋक्रफ दर्ज करने की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें जान-माल का खतरा महसूस हो रहा है। यह घटना दशार्ती है कि कर्बला जैसे पवित्र स्थल पर ईमान की जगह अब इनाम अवैध वसूली का और अदब की जगह दब गुंडागर्दी का स्थापित हो चुका है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।